



कार्यालय, कलेक्टर
एवं अध्यक्ष अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जिला-रायपुर (छ.ग.)

--: नियुक्ति आदेश :-

क्रमांक / SAGES / स्थापना / 2022 / २२२

रायपुर, दिनांक : २३/०६/२०२२

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के ज्ञाप क्र./शिक्षा/SAGES/2022/184रायपुर, दिनांक - 21/05/2022 एवं पत्र क्रमांक 196 दिनांक 26.05.2022 द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, योजना अंतर्गत रायपुर जिला के लिए भर्ती हेतु विज्ञापित शैक्षणिक अर्हताएवं साक्षात्कार के परिणाम सूची के प्रावीण्यता के आधार पर समिति द्वारा अनुशंसित चयन सूची में से सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-4 में उल्लेखित अभ्यर्थियों को क्रमशः स्तम्भ क्रमांक 2 व 3 में उल्लेखित पद एवं विषय हेतु शहीद स्मारक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडीह, रायपुर में पदस्थ किया जाता है। चयनित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 07 में अंकित एक मुश्त मासिक मानदेय प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे।

क्र.	पद	विषय	नाम	पिता/पति का नाम	पता	एकमुश्त मासिक मानदेय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	हिन्दी	वर्षा रानी सिन्हा	श्री प्रदीप कुमार	शांति विहार कॉलोनी डंगनिया रायपुर पिन 492001	30000/-
2		अंग्रेजी	शैला निगार	स्व. श्री अलीमुद्दीन बावरा	ए-2, 35 पं. रविशंकर वार्ड रवि नगर राजा तालाब पण्डरी रायपुर पिन 492001	30000/-
3		विज्ञान/ गणित	नुसरत जहां	करम मोहोम्मद	440/36 गली नं. 03 मतवाली गली मौहदापारा जिला रायपुर छ.ग. 492001	30000/-
4		संस्कृत	श्री श्याम कुमार टण्डन	श्री हीरालाल टण्डन	ग्राम उत्तरदा (नवाडीह)तहसील हरदी बाजार जिला कोरबा पिन 495446	30000/-
5		कला	लक्ष्मी टोटानी	श्री अमित टोटानी	401 मारुति कुंज मारुति विहार कोटा रायपुर पिन 492001	30000/-

क्र.	पद	विषय	नाम	पिता/पति का नाम	पता	एकमुश्त मासिक मानदेय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
6	सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम)	कला	मीरा राठिया	वी.पी. राठिया	ग्राम बिंजकोट तहसील खरसिया जिला रायगढ़ पिन 496661	20000/-
7		कला	विकास कुमार	श्री नेहरू दास जांगड़े	ग्राम सोनबंधा पो. धुमा तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर 495113	20000/-
8	सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम)	विज्ञान	प्रभा बिश्वास	संतोष कुमार बिश्वास	मकान नं. 343 वार्ड नं. 59 लक्ष्मी नगर पचपेडी नाका रायपुर छ.ग. 492013	20000/-
9		विज्ञान	उमंग पाण्डेय	प्रियांशु पाण्डेय	कैलकर पारा स्टेशन रोड रायपुर 492001	20000/-
10		विज्ञान	रिया भोयर	मोहन राव भोयर	पंजाबी गुरुद्वारा के सामने आमदी मंदिर वार्ड नं. 24 स्टेशन रोड दुर्ग 491001	20000/-
11	कोऑर्डिनेटर कम काउंसलर	-	शबनम खान	मोहम्मद अफरोज खान	एन.जी.ओ. सी/301 पोलिस हाउसिंग सोसायटी अमलीडीह रायपुर 492001	15000/-
12	भृत्य	-	सुधीर सिदार	गजानन्द सिदार	परसदा छोटे पोस्ट मल्दार तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ 496551	12000/-
13	भृत्य	-	श्री मितेश बंजारे	राजपति बंजारे	ग्राम सोढर तहसील धरमपुरा जिला मुंगेली छ.ग. 495334	12000/-
14	भृत्य	-	निर्मल सालमा	छत्रमणी सालमा	ग्राम खपरीडीह पोस्ट किसडी तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द 493558	12000/-
15	भृत्य	-	राहुल कुमार मोहले	री अगारन दास	सरोना चौक डूमरतालाब रोड रायपुर 492001	12000/-
16	स्वीपर	-	अभिनव साहू	श्री महेश कुमार साहू	ग्राम व पोस्ट संकरी तहसील कुरुद जिला धमतरी छ.ग. 493663	5000/-

क्र.	पद	विषय	नाम	पिता/पति का नाम	पता	एकमुश्त मासिक मानदेय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
17	स्वीपर	-	दिलहरण	पुनित राम	ग्राम बेमेतरा पोस्ट खैन्दा तहसील व जिला बलौदाबाजार 493332	5000/-
18	प्री-प्राईमरी शिक्षक	-	चंचल यादव	लीलाराम यादव	10/749 शुक्रवारी बाजार गुढ़ियारी रायपुर 492009	20000/-
19	प्री-प्राईमरी शिक्षक	-	क्षमा शुक्ला	श्री अनिल कुमार शुक्ला	एल.आई.जी. 40 सेक्टर 1 बाल विज्ञान के पास शुक्ला काम्प्लेक्स के सामने शंकर नगर रायपुर पिन 492001	20000/-
20	प्री-प्राईमरी आया	-	ज्योति कौशिक	तोरण लाल कौशिक	शा.क.पॉलिटैक्निक कॉलोज रायपुर बैरन बाजार 492001	10000/-
21	प्री-प्राईमरी आया	-	सरस्वती भारती	शेखर सिंह	वार्ड नं. 19 विकास नगर केनरा बैंक पहली गली सावित्री किराना के पास रायपुर 492011	10000/-
22	प्री-प्राईमरी स्वीपर	-	अनिल कुमार	श्री यशवंत कुमार	ग्राम व पोस्ट हल्दी तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	5000/-

भर्ती की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. उपरोक्त पद पूर्णतः स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शाला प्रबंधन एवं संचालन समिति के अधीन है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का शासन के पद पर नियमितीकरण अथवा संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
2. संबंधित कर्मचारियों का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समिति द्वारा उन्हें पदच्युत किये जाने का अधिकार होगा।
3. यह पद पूर्णतः अस्थायी है, भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. संबंधित कर्मचारियों का एकमुश्त मासिक मानदेय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (डी.एम.एफ.) मद से देय होगा।

5. कोऑर्डिनेटर कम काउंसलर पद के चयनीत कर्मचारियों को एकमुश्त मासिक मानदेय शैक्षणिक सत्र में 10 माह (01 जुलाई से 30 अप्रैल) अनुसार प्रदाय होगा ।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा असंवैधानिक गतिविधियों, हड़ताल, अनुशासनहीनता आदि में लिप्त पाये जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की जावेगी ।
7. उपर्युक्त निर्देशों के पालन किए जाने की शर्तों के अधीन यह नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है ।
8. संबंधित चयनीत कर्मचारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर संबंधित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

कलेक्टर,
जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं
अध्यक्ष अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय
जिला-रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक : 23/06 / 2022

पृ. क्रमांक / SAGES / स्थापना / 2022 / 223

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग., इन्दावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर छ.ग.को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसीवा जिला रायपुर को सूचनार्थ ।
7. प्राचार्य, शहीद स्मारक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडीह, रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. सर्व संबंधित शिक्षक / कर्मचारी श्री / सुश्री / श्रीमती
..... की ओर पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कार्य पर उपस्थिति
के समय समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की जानकारी संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत करें ।

कलेक्टर,
जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं
अध्यक्ष अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य कला महाविद्यालय जीजागर्गांव जिला धमतरी (छ.ग.)
क्रमांक -1009 / नियुक्ति आदेश / 2016 जीजागर्गांव 09/01/2016


नियुक्ति आदेश

श्री-चोवाराग यदु को कला महाविद्यालय जीजागर्गांव जिला धमतरी में सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर दिनांक 09/01/2016 से विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत नियुक्त किया जाता है।


प्राचार्य 09/01/16
प्राचार्य
कला महाविद्यालय जीजागर्गांव
जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, पं. रबिंद्र शुक्ल वि.वि. रायपुर ।
2. प्राचार्य, कला महाविद्यालय जीजागर्गांव ।
3. कक्षागत छात्रीय विकास समिति जीजागर्गांव ।
4. श्री सी.आर. यदु. सहा. प्रा. हिंदी को सूचनार्थ ।


प्राचार्य 09/01/16
प्राचार्य
कला महाविद्यालय जीजागर्गांव
जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (विकासनिका), 0771-2262640 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262807

क्र. 217 / अका. / 3, अनुमोदन / 2018

रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2018

प्रति

संचालक / प्राचार्य,
कुल: महाविद्यालय,
जी-जामगांव, धमतरी,
जिला - धमतरी (छ.ग.)

विषय: परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति के अनुशंसा का अनुमोदन।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 088 / अका. चयन / 2015 दिनांक 27.10.2015.


विषयांतर्गत संदर्भांकित पत्र के संबंध में, आपके महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 09.10.2015 को सहायक प्राध्यापक - हिंदी एवं राजनीति विज्ञान के पद हेतु आयोजित साक्षात्कार में अनुशंसित उम्मीदवारों को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

क्र.	पदनाम	चयनित उम्मीदवार का नाम	वेतनमान
1.	सहायक प्राध्यापक - हिंदी	01. श्री चोवा राम यदु	यू.जी.सी. द्वारा देय छठवाँ वेतनमान
2.	सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान	01. डॉ. नुवनेश्वर लाल साहू	

उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, पत्र निर्गमन की तिथि से मान्य होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि हेतु अनुमोदित की गई है। संबंधित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक से 15 दिनों के भीतर भेजे तथा उनकी उपस्थिति प्रतिवेदन की प्रति के साथ विश्वविद्यालय को अवगत कराये। चयनित उम्मीदवारों को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए।

परिनियम 28(3-)(3) के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के अनुमोदन के बिना किसी भी नियुक्त शिक्षकों को सेवा से पदच्युत नहीं किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक: 218 / अका. / अनुमोदन / 2018

रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2018

प्रतिलिपि:

01. उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


उप कुलसचिव (अका.)

क्रमांक /1049 /2022

मगरलोड, दिनांक 29.12.2022

!! प्रमाण -पत्र !!

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह टण्डन पिता श्री दयाचंद टण्डन दिनांक 02.09.2022 से यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला -धमतरी (छ0ग0) में रिक्त सहायक प्राध्यापक हिन्दी पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता के रूप में आज पर्यन्त तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।


(श्री) गणेशचन्द्र देवान ()
प्राचार्य
यशवंत राव मेघावाले
शासकीय महाविद्यालय मगरलोड
जिला -धमतरी (छ.ग.)



No.: PCR/APPT/AUG./2011/002

Date: 24.08.2011

ORDER

The management is pleased to appoint **Mr. Praveen Kumar Yadav** as **Assistant Professor** in the Department of **Communication** with effect from **24.08.2011** on the terms and conditions given below.

1. Your appointment will be temporarily. In case you intend to leave the service you shall have to serve one month notice or deposit one month salary in case Management intends to terminate your service within the probation period, you shall be served one month notice or pay one month salary.
2. You will be punctual and regular in attendance and maintain discipline of the institute.
3. While in the employment of the organization, you will not engage yourself in any other business or profession whatever part time or full time. If it is found that you are indulging in this activity action may be taken against you. You will devote full attention to the best of your skills, abilities and knowledge in the interest of the institute and shall diligently and faithfully perform your duties as may be assigned to you from time to time.
4. You will not disclose and divulge any information or secret of our Institute / Society to any outsider during service or after resigning also. An appropriate action may be taken against you, if you rotate it.
5. You are required to discharge all the duties assigned to you from time to time with full sense of responsibility and sincerity.
6. You will be required to be present in the institute full time during the normal working hours and beyond as and when required.
7. Besides teaching you will be required to develop laboratory experiments and maintain the laboratory equipment of the laboratory allotted to you.
8. You will be responsible for all academic, non-academic and other arrangements entrusted to you by the management from time to time.

सात दिना
13/10
2015

Copy to:

1. The Director, Pragati College, Raipur (C.G.)

Dr. Shruti Jha
(Principal),
Pragati College,
Central Avenue, Chouhrey Colony,
RAIPUR (C.G.)

कार्यालय-प्राचार्य शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

नवाडीह चौक सीपत, पिन कोड 495555

Email_ gmlscseepat@gmail.com

क्रमांक/310/अति. व्या./स्था./2022
प्रति,

सीपत, दिनांक - 09/09/2022

नम्रता,

श्री पंकज कुमार, बंगालीपारा, गली न.-05

बिलासपुर छ.ग., मो.न. 8103244824

विषय - अतिथि व्याख्याता विषय हिन्दी में अध्यापन आमंत्रण।

संदर्भ - 1. कार्यालय आयुक्त का पत्र क्र. 563/126/आउशि/राज.स्था./ नवा रायपुर,
अटल नगर, दिनांक 08/9/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार जारी प्राप्त अनुमति के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इस महाविद्यालय में विषय हिन्दी में अध्यापन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।


कृपया पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कर अध्यापन कार्य प्रारंभ करें।

शर्तें :-

1. अध्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. उक्त अध्यापन कार्य हेतु शासन के नियमानुसार प्रति कालखण्ड राशि रु. 300.00 (तीन सौ रूपये) मानदेय देय होगा। प्रति कार्यदिवस अधिकतम 04 कालखण्ड प्रति दिवस अधिकतम मानदेय 1200.00 एवं प्रतिमाह अधिकतम मानदेय 31200.00 (इक्तीस हजार दो सौ रूपये) देय होगा।
3. चयनित पदों पर शासन द्वारा नियमित नियुक्ति होने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. आमंत्रण अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
5. लोक सेवा आयोग से नियुक्ति/स्थानांतरण/शासन के आगामी आदेश/संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रण नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
6. प्रतिमाह डेलीडायरी व छात्र उपस्थिति रजिस्टर में विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अवश्य करावें। मानदेय हेतु कार्यालय के निर्धारित प्रपत्र में विवरण भरकर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर करावे।
7. अपने एस.बी.आई. बैंक खाता क्रमांक की पासबुक की छायाप्रति कार्यालय में जमा करें।
8. मानदेय बिलासपुर कोषालय द्वारा आपके खाते में जमा किया जायेगा।


(संयोजक)

अतिथि व्याख्याता चयन समिति


प्राचार्य
शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सीपत, दिनांक - /09/2022


क्रमांक/ /अति. व्या./स्था./2022

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनाय, सी-03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ।


(संयोजक)

अतिथि व्याख्याता चयन समिति


अ. राजीव शंकर खेर
प्राचार्य
शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)